अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अंसारी नगर, नई दिल्ली

फा.सं.1-1/2024-25/ई-ए.पी.ए.आर./स्था.-I

दिनांक: **११ 5** JAN 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय : मूल्यांकन अवधि दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 (2024-2025) हेतु संबंधित मूल्यांकन/रिपोर्टिंग/समीक्षा अधिकारी को ई-ए.पी.ए.आर. फॉर्म को समयानुसार जारी एवं अग्रेषित करने तथा इसे समय से भरने संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को सभी संबंधित अधिकारियों, विशेषकर विभागों/अनुभागों/एककों/केंद्रों के क्षेत्र से सभी संबंधित, को विभिन्न उद्देश्यों हेतु ई-ए.पी.ए.आर. को समयानुसार तैयार करने, पूरा करने एवं यथोचित अनुरक्षण से संबंधित उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.02.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 21011/02/2009-स्था. (ए) तथा दिनांक 23.07.2009 के इसके समसंख्यक अनुवर्ती कार्यालय ज्ञापन द्वारा निर्धारित निदेशों की ओर ध्यान दिलाने तथा रिपोर्ट किए जाने वाले अधिकारी द्वारा सुधार हेतु अभ्यावेदन करने, यदि कोई हो तो, को पारदर्शी बनाने का निदेश हुआ है।

एमएसीपी/डीपीसी तथा सेवा में स्थायीकरण के उद्देश्य हेतुं कर्मचारियों के एपीएआर की वार्षिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (भारत सरकार) द्वारा निर्धारित समय सारणी का पालन करने का निर्णय लिया गया है। अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सारणी का सख्ती से पालन करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कार्य-विवरण	कार्य पूरा करने की वर्तमान तिथि
1.	संबंधित स्थापना अनुभाग द्वारा ई-ए.पी.ए.आर. फॉर्म	31 मार्च
	के विधिवत रूप से भरे हुए भाग-। को अग्रेषित करना	(इसे एक सप्ताह पहले भी पूर्ण किया जा
	(अर्थात जिसमें स्व-मूल्यांकन दिया जाना है उसमें	
	रिपोर्ट किए जाने वाले अधिकारी को तथा जिसमें स्व-	
	मूल्यांकन नहीं दिया जाना है उसमें रिपोर्टिंग	
	अधिकारियों को अग्रेषित करना)	
2.	जिस अधिकारी की रिपोर्ट की जानी है उसके द्वारा	15 अप्रैल
	रिपोर्टिंग अधिकारी को स्व-मूल्यांकन का प्रस्तुतिकरण	
	(जहां लागू हो)।	
3.	रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा समीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट	30 जून
	का प्रस्तुतिकरण	
4.	समीक्षा अधिकारी द्वारा रिपोर्ट को पूर्ण किया जाना	31 जुलाई
	एवं प्रशासन अथवा ए.सी.आर. प्रकोष्ठ अथवा स्वीकृति	
	प्राधिकारी (जहां लागू हो) को रिपोर्ट भेजना	
5.	स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन, जहां ऐसा	31 अगस्त
	प्रावधान हो या लागू हो	
6.	(i) जहां स्वीकृति प्राधिकारी न हो, वहां रिपोर्टाधीन	1 सितम्बर
	अधिकारी को ई-ए.पी.ए.आर. का प्रकटीकरण	
	(ii) जहां स्वीकृति प्राधिकारी हो, वहां रिपोर्टाधीन	15 सितम्बर
	अधिकारी को ई-ए.पी.ए.आर. का प्रकटीकरण	

7.	ई-ए.पी.ए.आर. संबंधी यदि कोई अभ्यावेदन हो, तो	प्रकटीकरण की तिथि से 15 दिनों के भीतर
	उसकी प्राप्ति	
8.	सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन का अग्रेषण	
	(क) जहां ई-ए.पी.ए.आर. हेतु स्वीकृति प्राधिकारी न हो	21 सितम्बर
	(ख) जहां ई-ए.पी.ए.आर. हेतु स्वीकृति प्राधिकारी हो	6 अक्टूबर
9.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निपटान	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन की प्राप्ति
		से एक माह के भीतर
10.	ए.सी.आर. प्रकोष्ठ द्वारा अभ्यावेदन पर सक्षम	15 नवम्बर
	प्राधिकारी के निर्णय को स्चित करना	
11.	यदि कोई नया तथ्य नहीं जोड़ा जाता है/परिवर्तन नहीं	30 नवम्बर
	होता है, तो उसके बाद ई-ए.पी.ए.आर. की संपूर्ण	
	प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तथा ए.पी.ए.आर. को	
	अंतिम रूप से रिकार्ड में ले लिया जाएगा।	

तदनुसार, सभी स्थापना अनुभागों के सभी विरष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों/प्रशासनिक अधिकारियों/ सहायक प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि सभी कर्मचारियों की ई-ए.पी.ए.आर. जारी करें तािक मूल्यांकन अधिकारी उपर्युक्तनुसार निर्धारित समय-सीमा में लेखन प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु समय पर स्व-मूल्यांकन जमा कर सकें।

> (अनिल कुमार) प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:

- 1. सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक प्रशासनिक अधिकारी
- 2. प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा, एम्सः इसे एम्स के पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
- 3. डॉ. ऐंजल राजन सिंह, अपर आचार्य, अस्पताल प्रशासन एवं संयोजक, पीएमयू: उपर्युक्तानुसार समय-सारणी का पालन करने के अनुरोध सहित।
- 4. फैकल्टी एसोसिएशन/ऑफिसर्स एसोसिएशन/एम्स नर्सिंग यूनियन/कर्मचारी यूनियन

प्रतिलिपि:

- 1. निदेशक/अपर निदेशक (प्रशासन)/उप-सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के प्रधान निजी सचिव
- 2. संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)/उप-संकायाध्यक्ष
- 3. एम्स के सभी केन्द्रों के प्रमुखगण
- 4. वरिष्ठ वित्त सलाहकार/वित्त सलाहकार,एम्स

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ANSARI NAGAR, NEW DELHI

F.No.1-1/2024-25/e-APAR/Estt.-I

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Timely generation & forwarding of e-APAR forms to concerned Ratee/Reporting/Reviewing officer for the assessment period 01.04.2024 to 31.03.2025 (2024-25) to accomplish the same in time- regarding.

The undersigned is directed to invite the attention of all concerned especially in the area of Departments/Sections/Units/Centres towards the instructions laid down by the Department of Personnel & Training vide O.M. NO. 21011/02/2009-Estt. (A) dated 16.02.2009 and its subsequent O.M. of even number dated 23.07.2009 on the subject cited above in respect of timely preparation, completion and proper maintenance of e-APAR for the various purposes and to make transparent for representation for up-gradation, if any, by officer reported upon.

It has been decided to adopt the time schedule as prescribed by the Department of Personnel & Training (GOI) for the completion of yearly process of APARs of employees for the purpose of MACP/DPC and confirmation in service. Therefore, the time schedule prescribed by the Govt. of India is needed to be strictly adhered to, which is as follows:-

SI. No.	Activity	Date by which to be completed
1.	Forwarding e-APAR forms duly filled	
	Part-I by the concerned establish (i.e. to	
	officer to be reported upon where self-	week earlier)
	appraisal has to be given and to reporting Officers where self-appraisal is	
	not to be given)	
2.	Submission of self-appraisal to reporting	15 th April
	officer by officer to be reported upon (where applicable)	
3.	Submission of report by reporting officer	30 th June
	to reviewing officer.	
4.	Report to be completed by reviewing	31 st July
	officer and to be sent to Administration	
	or ACR Cell or accepting authority (wherever provided)	
5.	Appraisal by accepting authority,	31 st August
	wherever provided or applicable	-1
6.	(a) Disclosure of e-APAR to the officer	1 st September
	reported upon where there is no	
	accepting authority.	15th Contombon
	(b) Disclosure of e-APAR to the officer reported upon where there is	15 th September
	accepting authority	

Dated: 15.01.2025

		- i i f any on	15days from the date of disclosure
7		e-APAR	Todaye mem
8		Forwarding of representation to the	
		competent authority (i) Where there is no accepting authority	21 st September
		for e-APAR (j) Where there is accepting authority for e-APAR	6 th October
			Within one month of date of receipt
6	9.	Disposal of representation by the	of representation by the competent
		competent authority	authority
		Communication of the decision of the	15 th November
	10.	competent authority on the	
		competent authority on	
		representation by the ACR Cell	30 th November
	11.	End of entire e-APAR process, after	그 사람들이 많은 사람들이 되었다. 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다. 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다.
		which the APAR will be finally taken on	
		record, in case of no addition/alteration.	

Accordingly, all the Sr. Administrative Officers/ Administrative Officers/ Assistant Administrative Officers of all Establishment Sections are requested to generate the e-APAR of all employees, so that the Ratee Officer may submit the self appraisal in time for completion of writing process within the prescribed time frame as mentioned above.

ANIL KUMAR ADMINISTRATIVE OFFICER

Distribution:

- 1. All Sr. Administrative Officer/ Administrative Officer/ Asstt. Administrative Officer
- 2. The Prof.-in-charge, Computer Facility, AIIMS: with request to upload the same on AIIMS portal.
- 3. Dr. Angel Ranjan Singh, Addl. Prof. of Hosp. Admn. & Convener, PMU: with request to follow the time schedule as per above circular.
- 4. The Hindi Section: Kindly translate it into Hindi language and return back to the ACR Cell for circulation.
- 5. Faculty Association/ Officer Association/ AIIMS Nursing Union / Karmachari Union

Copy to:

- 1. The PPS to Director/ Additional Director (Admn.)/ Deputy Secretary/CAO
- 2. The Dean (Academic)/Dean (Research)/Dean (Examination)/Sub- Dean
- 3. All the Chief of the Centre's, AIIMS
- 4. The Senior Financial Advisor/ Financial Advisor, AIIMS